न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 176 / 2025 निर्णय दिनांकः– 13-05-26
(जीसीएमएस संख्या 2025 / 384)

1. सन्त कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई आयु 49 वर्ष निवासी सादुलशहर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17–07–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 17–07–1998 जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 25–12–1986 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विशेष आवंटन हेतु चक नम्बर 13 डी.डब्ल्यु.डी. के मुरब्बा नम्बर 11/36 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दस्तावेजो की जॉच करते हुए उसे प्रश्नगत अराजी का पात्र मानते हुए अपीलांट का आवंटन स्वीकार तत्कालीन निर्धारित कीमत 71123/– रूपये पर आवंटित की गई और आदेश किया गया कि आवेदक को सूचित किया जावें कि आवंटित भूमि की कीमत जमा करवाने के लिए इस कार्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तु कर चालान प्राप्त करें एवं राशि जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें जिसकी सूचना आज दिनांक तक अपीलांटान को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी नहीं की गइर और एक तरफा बाला–बाला अपीलांटान को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध प्रार्थी को सूचित किये बिना आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हुए एवं आदेशिका दिनांक 05.07.1997 की पालना में कोई नोटिस जारी नहीं होने के बावजूद दिनांक 17.07.1998 को आवेदक का आवटंन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई हैश का अंकन करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, उसूल इन्साफ एवं रूहेदाद मिसल के है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के काबिल खारिजी के है। अपीलांट को कृषि भूमि वाके रोही चक 13 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 11/36 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद जांच आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.09.1997 को आवंटन की अनुशंषा करने पर भूमि आवंटन की गई जिसे बाद पुलिस वेरिफिकेशन, चालान एवं पट्टा जारी करने बाबत् कहा गया परन्तु उक्त आवंटन के आधार पर चालान जारी नहीं होने एवं अपीलांटान को जानकारी नहीं दिये जाने के कारण तगाम कार्यवाही एकतरफा बाला–बाला एवं अपीलांटान को सूचित किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए किये जाने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांटान को आवंटन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं भिजवाया गया है और पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा आवेदन के साथ समस्त औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिनके आधार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर ही आवंटी को उक्त आवंटन हुआ था फिर भी आवंटी को भूमि से महरूम करने के लिए जानबूझकर नोटिस जारी नहीं कर आवंटी को सूचना दिये बिना अपीलाधीन आदेश जारी कर कानूनी भूल की है। आवंटी हमेशा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तैयार व तत्पर रहा है। आवंटी ने आवेदन के समय समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की है जो संलग्न पत्रावली है जिस पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05–07–1997 को अपीलांट को प्रश्नगत भूमि के आवंटन का पात्र घोषित किया जाकर प्रश्नगत भूमि चक 13 डीडब्ल्युडी के मुरब्बा नम्बर 11/36 रकबा 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन की अभिशंसा की गई।

इसके पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–07–1998 द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलांट द्वारा नोटिस के बावजूद 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई गई है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05–01–2026 उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नही है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।**

राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रश्नगत रकबा यदि किसी अन्य को आवंटित न हुआ हो, किसी सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो और अपीलांट 3 माह के भीतर समस्त बकाया राशि जमा करवा दे तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13-05-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर